SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.03.2025

पारिवारिक न्यायालय, बारां

पारिवारिक न्यायालय, बारां के इस प्रकरण में प्रार्थिया व अप्रार्थी के मध्य वर्ष 2008 में विवाह संपन्न हुआ था। साथ रहने के दौरान पक्षकारान् के दो पुत्रों का जन्म हुआ। विवाह के लगभग 10 वर्ष पश्चात् 2018 में पति–पत्नी के मध्य आपसी मतभेद हुए जिस कारण दोनों अलग–अलग रहने लग गए। इस पर अप्रार्थी ने न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका एवं प्रार्थिया द्वारा न्यायालय में भरण–पोषण की याचिका दायर पेश की। उक्त प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के मध्य प्री–काउंसलिंग करवाई गई। प्री–काउंसलिंग के पश्चात् दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए एवं दोनों आपसी विवाद को समाप्त कर एक साथ रहने को तैयार हुए। इस प्रकार लगभग 6 वर्षों से चले आ रहे विवाद का लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से दिनांक 08.03.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 05, बीकानेर

इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य वर्ष 2012 से जमीनी विवाद था। उक्त प्रकरण में वादी द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया कि उनके पिता की वसीयत फर्जी एवं कूटरचित पंजीबद्ध है, जो कि कानून सम्मत नहीं होने के कारण निरस्त करने योग्य है। प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के मध्य समझाईश करवायी गयी, पूर्व में भी उक्त प्रकरण में मध्यस्थता केन्द्र द्वारा भी मध्यस्थता करवायी गयी थी। समझाईश के फलस्वरूप दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए।इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लगभग 13 वर्ष से चले आ रहे जमीनी विवाद का राजीनामे द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बड़ीसादड़ी, चित्तौड़गढ़

इस प्रकरण को पड़ोसी पक्षकारान् के मध्य चैक राशि को लेकर झगड़ा होने पर न्यायालय में पेश किया गया। दोनों पक्षकारान् के मध्य सामाजिक एवं जातिगत वैमनस्यता लम्बे समय से चली आ रही थी। प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षों के मध्य समझाईश करवायी गयी। बैंच द्वारा की गयी समझाईश एवं दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के सहयोग के फलस्वरूप दोनों पक्ष राजीनामा हेतु सहमत हुए और लोक अदालत की भावना से वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंतिम रूप से निस्तारण किया गया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 08.03.2025

पारिवारिक न्यायालय, संख्या 02, जोधपुर

पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, जोधपुर के इस प्रकरण में प्रार्थिया एवं अप्रार्थी के मध्य दिनांक 27.11.2004 को हिन्दु रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ, जिससे पक्षकारान् के दो संतानों का जन्म हुआ। आपसी मतभेदों के चलते दोनों पति–पत्नी वर्ष 2008 से अलग–अलग रहने लगे, जिसके पश्चात् आपसी समझाईश से दोनों ने साथ–साथ रहना प्रारंभ किया, परंतु पुनः मतभेद की परिस्थितियों के चलते दोनों पति–पत्नी वर्ष 2020 से पुनः अलग–अलग रहने लगे। आपसी मतभेद बढ़ने पर प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण–पोषण हेतु प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में विचारण के दौरान प्रकरण में राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के मध्य प्री–काउंसलिंग करवाई गई। प्री–काउंसलिंग के पश्चात् दोनों पक्षकारान लोक अदालत की भावना से राजीनामा हेतु सहमत हुए एवं दोनों आपसी विवाद को समाप्त कर एक साथ रहने को तैयार हुए। इस प्रकार पति–पत्नी के मध्य उत्पन्न विवाद का लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से दिनांक 08.03.2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, क्रम–01, कोटा

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के इस प्रकरण में एक व्यक्ति की दिनांक 07.09.2024 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के वारिसान/आश्रितगण के द्वारा क्लेम प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया गया। प्री–काउंसलिंग के दौरान अप्रार्थी बीमा कंपनी तथा वारिसान/आश्रितगण के मध्य 41,00,000/– रूपये की राशि पर सहमति बनी और लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से उक्त प्रकरण का निस्तारण किया गया।

****

"Help the Needy – Timely Help May Create History"